



रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति

A. उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

HEICO कॉर्पोरेशन और उसकी सहायक कंपनियां (सामूहिक रूप से, "HEICO" या "कंपनी") नैतिकता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की नींव पर बनी हैं। इसी आधार पर, HEICO अपने उद्योगों में और विश्व भर में एक भरोसेमंद भागीदार बनने का प्रयास करता है। इन सिद्धांतों और नीतियों को अपनाकर और HEICO टीम के सदस्यों के समर्पित कार्य के माध्यम से, HEICO कानूनी तरीके से काम करना जारी रखता है, ईमानदारी के आदर्शों की रक्षा करता है, नैतिक प्रथाओं को बनाए रखता है और कानून की सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम सेवाएं और उत्पाद प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से, यह रिश्वत-रोधी और भ्रष्टाचार-रोधी नीति (यह "नीति") कंपनी के दुनिया भर में चल रहे कार्यों में रिश्वत और भ्रष्टाचार को रोकने, उनका पता लगाने और उनसे निपटने के लिए मानक, कार्यप्रणालियाँ और दिशानिर्देश निर्धारित करती है।

B. नीति वक्तव्य

HEICO में, हम किसी भी परिस्थिति में रिश्वत न तो देते हैं और न ही स्वीकार करते हैं। यह नीति HEICO के लिए या उसकी ओर से सेवाएं प्रदान करने वाले टीम सदस्यों और तृतीय-पक्ष एजेंटों पर लागू होती है, चाहे वे घरेलू स्तर पर स्थित हों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों का अर्थ इस नीति में दिए गए अर्थों के अनुसार होगा।

C. अनुपालन के प्रति प्रतिबद्धता

कंपनी HEICO के लिए या उसकी ओर से सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी टीम सदस्य या तृतीय-पक्ष एजेंट द्वारा या उसकी ओर से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को प्रतिबंधित करती है और सभी लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के अनुपालन को बढ़ावा देती है। इस नीति को अपनाते हुए, कंपनी (i) भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और लागू स्थानीय कानूनों के अनुपालन, (ii) पारदर्शिता, और (iii) विश्व स्तर पर अपने संचालन में अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

यह नीति कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। टीम के सदस्यों और तृतीय-पक्ष एजेंटों को रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) पेशकश करने, स्वीकार करने और/या संलग्न होने से प्रतिबंधित किया गया है। कुछ भ्रष्टाचार

विरोधी कानूनों के तहत, प्रतिबंध न केवल सरकारी अधिकारियों पर बल्कि व्यावसायिक पक्षों पर भी लागू होते हैं।

D. परिभाषाएं

इस नीति के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा:

- 1) **भ्रष्टाचार विरोधी कानून:** कोई भी लागू भ्रष्टाचार-विरोधी कानून जो HEICO के व्यवसाय और संचालन (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) पर लागू होता है। लागू कानूनों में अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम ("एफसीपीए"), यूके रिश्वत अधिनियम 2010 और अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में विदेशी सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देने से निपटने पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ("ओईसीडी") कन्वेंशन शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी कानून हमें अन्य बातों के अलावा, किसी सरकारी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का मूल्यवान वस्तु प्रदान करने से प्रतिबंधित करते हैं, जिसका उद्देश्य (i) व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए आधिकारिक कार्रवाई या निष्क्रियता को अनुचित रूप से प्रभावित करना या प्रेरित करना हो या (ii) कोई अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना हो। प्रतिफल, उपहार या सेवा का मूल्य मायने नहीं रखता।

भ्रष्टाचार विरोधी कानून किसी तीसरे व्यक्ति (साझेदार या एजेंट सहित) को किसी भी मूल्यवान वस्तु की पेशकश या भुगतान करने पर भी रोक लगाते हैं, यह जानते हुए (या यह जानने का कारण रखते हुए) कि वह व्यक्ति उस पैसे का उपयोग किसी सरकारी अधिकारी को भ्रष्टाचार भुगतान करने के लिए करेगा।

भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में से कई कानून निजी क्षेत्र या व्यावसायिक रिश्वतखोरी को भी अपराध मानते हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होते हैं।

- 2) **मूल्यवान वस्तुएँ:** नकद या नकद के बराबर चीज़ें (उदाहरण के लिए, गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक, वगैरह), सिम्योरिटीज़ (स्टॉक, बॉन्ड, इक्विटी, या पार्टनरशिप में हिस्सेदारी, वगैरह), नौकरी के ऑफ़र या कोई भी अन्य ठोस या अमूर्त फ़ायदे, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, गिफ्ट, लोन, सेवाएँ, छुट्टियाँ, खाना, पढ़ाई के मौके, एहसान, चैरिटी के लिए दान, और राजनीतिक चंदा।
- 3) **रिश्वत:** किसी व्यक्ति को अनुचित या गैरकानूनी आचरण के लिए प्रेरित करने या प्रोत्साहित करने के लिए, या किसी कार्य या निर्णय के अनुचित निष्पादन को पुरस्कृत करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ या मूल्यवान वस्तु देना या प्राप्त करना। इसमें किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें टीम का सदस्य भी शामिल है, को रिश्वत लेने के लिए निर्देशित करने का कार्य भी शामिल है।
- 4) **धर्मार्थ दान:** कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से किसी धर्मार्थ कार्य या संगठन के समर्थन में किए गए मौद्रिक या वस्तुगत दान।
- 5) **अनुपालन अधिकारी:** कंपनी का मुख्य अनुपालन अधिकारी, अथवा समय-समय पर नामित कोई अन्य अनुपालन अधिकारी।
- 6) **सुविधा शुल्क (या रिश्वत):** सरकारी अधिकारियों को नकद या वस्तु के रूप में (उदाहरण के लिए, शराब, सिगरेट, कोई उत्पाद, या इसी तरह की अन्य चीज़ें जो आमतौर पर छोटी और कम कीमत वाली होती हैं) किया जाने वाला एक प्रकार का भुगतान, जिसका उद्देश्य किसी भी नियमित सरकारी प्रक्रिया या कार्रवाई को आसान बनाना या उसमें तेज़ी लाना होता है (उदाहरण के लिए, परमिट, लाइसेंस, कस्टम क्लियरेंस प्राप्त करना, वीज़ा प्रक्रिया पूरी करना, पुलिस सुरक्षा पाना, निरीक्षण का समय तय करना आदि)। कुछ भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत सुविधा शुल्क गैरकानूनी हो सकता है, भले ही यह कई देशों में आम हो।
- 7) **सरकारी अधिकारी:** किसी भी सरकारी विभाग, एजेंसी, या उसके किसी अंग (जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित कोई उद्यम भी शामिल है) का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी; या किसी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या विश्व सीमा शुल्क संगठन) का कोई अधिकारी या कर्मचारी; या कोई भी व्यक्ति जो उपर्युक्त में से किसी के लिए या उसकी ओर से आधिकारिक क्षमता में कार्य कर रहा हो या कोई सार्वजनिक कार्य कर रहा हो (उदाहरण के लिए, सीमा शुल्क, आव्रजन, पुलिस, बंदरगाह अधिकारी, आदि); या कोई राजनीतिक दल या दल का पदाधिकारी; या किसी राजनीतिक पद के लिए कोई उम्मीदवार। कुछ देशों में, स्थानीय वाणिज्य मंडल को सरकारी संस्था माना जा सकता है।
- 8) **आतिथ्य व्यय:** कंपनी द्वारा आतिथ्य सत्कार के उद्देश्य से तीसरे पक्ष को प्रदान किए गए उपहार, भोजन, मनोरंजन, संगीत कार्यक्रम, खेल आयोजन, हवाई किराया, आवास और अन्य खर्च।
- 9) **व्यक्ति:** कोई भी व्यक्ति, साझेदारी, निगम, सीमित देयता कंपनी, व्यावसायिक ट्रस्ट, संयुक्त स्टॉक कंपनी, ट्रस्ट, गैर-निगमित संगठन, संयुक्त उद्यम, फर्म या अन्य इकाई।
- 10) **राजनीतिक योगदान:** किसी राजनीतिक उम्मीदवार, उद्देश्य या संगठन के समर्थन में कंपनी द्वारा किए गए मौद्रिक या वस्तुगत योगदान।
- 11) **प्रचार व्यय:** कंपनी द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं का ग्राहकों, संगठनों और तृतीय पक्षों को विज्ञापन देने के लिए किए गए खर्च (उदाहरण के लिए, लंच, डिनर, सेमिनार, कार्यशालाएं, सुविधा भ्रमण, ब्रांडेड प्रचार सामग्री, ब्रोशर, प्रायोजन, व्यापार सम्मेलन आदि)।
- 12) **टीम के सदस्य:** कंपनी के निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य, अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधन, या कर्मचारी।

13) **तृतीय-पक्ष एजेंट:** कोई भी एजेंट, सलाहकार, वितरक, बिक्री प्रतिनिधि, ठेकेदार, विक्रेता, तृतीय-पक्ष एजेंट, भागीदार और/या कोई भी व्यक्ति जो टीम सदस्य नहीं है, और जो दुनिया भर में कंपनी के लिए या उसकी ओर से सेवाएँ प्रदान करता है।

E. सामान्य दिशानिर्देश

1) सामान्य रिश्तखोरी निषेध।

टीम के सदस्यों और तीसरे पक्ष के एजेंटों को किसी भी व्यक्ति, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, कोई व्यावसायिक पक्ष हो, या कोई अन्य, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्त देना, उसका वादा करना या उसकी पेशकश करना प्रतिबंधित है। टीम के सदस्यों और तृतीय-पक्ष एजेंटों को किसी भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, व्यावसायिक पक्ष या किसी अन्य से रिश्त मांगने, प्राप्त करने के लिए सहमत होने या स्वीकार करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

इस नीति के अंतर्गत निषिद्ध आचरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- (a) किसी भी सरकारी अधिकारी, व्यवसाय या व्यक्ति को रिश्त देना या उनसे रिश्त लेना।
- (b) लागू भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न होने पर भी सुविधा शुल्क की पेशकश करना या भुगतान करना, जैसे कि जब्त किए गए माल को छुड़ाने के लिए सीमा शुल्क एजेंट को भुगतान करना।
- (c) निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने जैसे लाभकारी परिणाम हासिल करने के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों या किसी तीसरे पक्ष को उपहार या सुविधाएं प्रदान करना।
- (d) अवैध परिणाम प्राप्त करने या सरकारी अधिकारियों से तरजीही व्यवहार पाने के साधन के रूप में प्रायोजन और/या धर्मार्थ दान का उपयोग करना।

2) आतिथ्य सत्कार और प्रचार संबंधी खर्चों का भुगतान।

आतिथ्य सत्कार और प्रचार संबंधी व्यय जो कंपनी की सेवाओं और उत्पादों से सीधे संबंधित हैं और उचित तथा सामान्यतः उपयुक्त हैं। हालांकि, ऐसे खर्चों का उपयोग किसी व्यक्ति को अनुचित या गैरकानूनी आचरण में संलग्न होने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं किया जाएगा।

आतिथ्य सत्कार और प्रचार संबंधी खर्च आम तौर पर कंपनी द्वारा वहन किए जा सकते हैं यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

- (a) वैध व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सन्द्भावनापूर्वक प्रस्तुत किया गया;
- (b) मूल्य में उचित और आनुपातिक (उदाहरण के लिए, \$100 USD तक);
- (c) नकद या नकद समकक्ष के रूप में भुगतान नहीं किया गया;
- (d) कभी-कभार ही उपलब्ध;
- (e) लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के तहत वैध; और
- (f) वित्तीय विनियमों और नीतियों के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों में विधिवत दर्ज।

3) राजनीतिक चंदा और धर्मार्थ दान।

यदि योगदान या दान का उद्देश्य किसी पक्ष को अनुचित या गैरकानूनी आचरण में संलग्न होने के लिए प्रेरित करना है, तो राजनीतिक चंदा और धर्मार्थ दान को रिश्त माना जाता है। इस प्रकार के इरादों से किए गए किसी भी प्रकार के राजनीतिक चंदे या धर्मार्थ दान पर कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है।

यदि कोई सरकारी अधिकारी, या किसी सरकारी अधिकारी का कोई पारिवारिक सदस्य, कंपनी से कोई राजनीतिक योगदान या धर्मार्थ दान करने का अनुरोध करता है, तो उस योगदान या दान को कंप्लायंस ऑफिसर या जनरल काउंसल द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है; साथ ही, ऐसे अनुरोध और उस पर दिए गए जवाब—जिसमें अनुमोदन और अस्वीकृति

दोनों शामिल हैं—को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

हालांकि टीम के सदस्यों को उन कार्यों में भाग लेने की अनुमति है जो गैर-लाभकारी हैं और जो सीधे सामुदायिक सेवा और दान देने की पहलों से संबंधित हैं, लेकिन ऐसे कार्यों के लिए अन्य टीम सदस्यों की भागीदारी या योगदान प्राप्त करने के सभी अनुरोधों की समीक्षा और अनुमोदन संबंधित HEICO सहायक कंपनी के मानव संसाधन विभाग या अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

4) तीसरे पक्ष से व्यावसायिक शिष्टाचार की स्वीकृति।

कोई टीम सदस्य किसी तीसरे पक्ष से व्यावसायिक शिष्टाचार (उदाहरण के लिए, उपहार, एहसान, भोजन या अन्य वस्तुएं) स्वीकार नहीं कर सकता है यदि इसका उद्देश्य टीम सदस्य को अनुचित या गैरकानूनी तरीके से कार्य करने के बदले में या तरजीही व्यवहार प्राप्त करने के लिए दिया जाता है।

5) तृतीय-पक्ष एजेंट। कंपनी तृतीय-पक्ष एजेंट्स को इस पॉलिसी के बारे में और इसका तथा सभी भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का पालन करने की उनकी ज़िम्मेदारी के बारे में सूचित करेगी।

(a) **अनुबंध के प्रावधान।** टीम के सदस्य और तृतीय-पक्ष एजेंट यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सभी समझौतों में कंपनी का मानक भ्रष्टाचार-विरोधी खंड या ऐसा खंड शामिल हो जो इस नीति के साथ सार रूप से तुलनीय हो। इस नीति के अनुसार, तृतीय-पक्ष एजेंटों को कंपनी के व्यवसाय को उप-अनुबंधित करने से तब तक प्रतिबंधित किया जाएगा जब तक कि वे यह सुनिश्चित न कर लें कि ऐसे उप-अनुबंध लागू कानूनों, जिनमें भ्रष्टाचार विरोधी कानून भी शामिल हैं, का अनुपालन करते हैं।

(b) **यथोचित परिश्रम।** कंपनी, इस नीति और सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, थर्ड-पार्टी एजेंटों की पृष्ठभूमि, प्रतिष्ठा,

अनुभव और क्षमताओं की उचित जांच और समीक्षा करेगी।

6) **पुस्तकें और अभिलेख।** कंपनी की बही-खातों, अभिलेखों और खातों को उचित विस्तार और सटीकता के साथ रखा जाना चाहिए ताकि वे सभी लेन-देन को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित कर सकें। टीम के सदस्य और तीसरे पक्ष के एजेंट, कंपनी और संबंधित तीसरे पक्ष के एजेंटों की बहियों और अभिलेखों में व्यावसायिक लेन-देन को दर्ज करने से संबंधित कंपनी के सभी लागू नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

F. प्रमाणन

कंपनी समय-समय पर टीम के सदस्यों और तृतीय-पक्ष एजेंटों से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा करेगी कि उन्होंने इस नीति की समीक्षा कर ली है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और वे इस नीति और लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का अनुपालन कर रहे हैं।

G. प्रश्न

इस नीति से संबंधित प्रश्नों के लिए, या यह निर्धारित करने में सहायता के लिए कि कोई विशेष कार्रवाई इस नीति और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के अनुरूप है या नहीं, या विशिष्ट मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण के लिए, अनुपालन अधिकारी या कानूनी विभाग से संपर्क करें।

H. उल्लंघन

यदि लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, तो टीम के सदस्यों और/या कंपनी को आपराधिक दंड (जुर्माना या कारावास) या नागरिक प्रतिबंधों (क्षतिपूर्ति या जुर्माना) का सामना करना पड़ सकता है। संभावित आपराधिक या नागरिक दंडों के अलावा, इस नीति और लागू कानूनों का कोई भी उल्लंघन एक गंभीर मामला माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा टीम सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रोजगार की बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है, लेकिन यह केवल इसी तक सीमित नहीं है।

I. रिपोर्टिंग और प्रतिशोध न लेना

टीम के सदस्यों और तीसरे पक्ष के एजेंटों के लिए यह अनिवार्य है कि वे लागू कानूनों और इस नीति के उल्लंघन की रिपोर्ट कंप्लायंस ऑफिसर को, या The Network को 1-(888) 270-5942 पर करें। यह एक गुमनाम कंप्लायंस हॉटलाइन है जो दिन के 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहती है, और जिसका संचालन एक तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। जहां तक कानूनी और व्यावहारिक रूप से संभव हो, कंपनी रिपोर्टों को गोपनीय रखेगी।

HEICO किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है, जो सद्भावनापूर्वक कोई चिंता व्यक्त करता है या इस नीति के उल्लंघन की रिपोर्ट करता है। इस नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो टीम के सदस्यों या तीसरे पक्ष के एजेंटों को उचित सरकारी एजेंसियों के समक्ष अपनी चिंताएँ उठाने से रोकता हो।